जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–9/2022/डी– 3585 दिनांकः– 14/6/22

सार्वजनिक विज्ञप्ति

ग्राम बुद्वसिंहपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 292 रकबा 0.52 हैक्टे. खसरा नम्बर 294 रकबा 0.26 हैक्टे. खसरा नम्बर 297 रकबा 0.52 हैक्टे. खसरा नम्बर 298 रकबा 0.07 हैक्टे. खसरा नम्बर 299 रकबा 0.29 हैक्टे. खसरा नम्बर 300 रकबा 0.01 हैक्टे. खसरा नम्बर 387 रकबा 0.28 हैक्टे. खसरा नम्बर 303/626 रकबा 0.03 हैक्टे. कुल किता 8 रकबा 1.98 हैक्टे. भूमि की 90बी प्रकरण संख्या 131/2000 निर्णय दिनांक 29.02.2000 के द्वारा खातेदार श्री भंवरिया पुत्र घासी एवं चन्दा पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम बुद्वसिंहपुरा तहसील सांगानेर, जयपुर के पक्ष मे पारित किया गया था। उक्त निर्णय की अपील माननीय सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के यहां प्रकरण संख्या 81/2005 मे स्वीकार कर निर्णय दिनांक 29.02.2000 को रिमाण्ड किया गया जिसके क्रम मे पुनः सुनवाई कर दिनांक 18.10.2010 को निर्णय कर पूर्ववर्ती आदेश को यथावत रखा गया है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर **हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना चौधरी नगर** के नाम से सृजित की जा चुकी है।

वर्तमान मे उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर सृजित योजना नियमन हेतु समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध मे किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय मे प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण मे योजना के मानचित्र अनुमोदन कर लीजडीड जारी किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र मे प्रकाशित करावें।

PRO/R-671
20/6/22

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–9/2022/डी– 3882 दिनांक– 17 6 2022

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तानान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	बी–39	266.66 व.ग.	शिवपुरी	श्रीमती साधना माथुर पत्नी स्व. श्री विष्णु कुमार माथुर, श्री पीयूष पाणि माथुर पुत्र श्री विष्णु कुमार माथुर एवं श्रीमती अम्बिका पत्नी श्री पीयूष पाणि माथुर	श्रीमती रेणु अग्रवाल पत्नी श्री दिनेश अग्रवाल	मृत्यु प्रमाण पत्र

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

Sd/-

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

प्रतिलिपी–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा,जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-672
20/6/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष–(91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स – 91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स– 91-141-2574555

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 3340 दिनांकः- 15-6-2022

आम सूचना

ग्राम गोनेर तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1327 से 1332, 1377 से 1385 व 1387 के खातेदार राधा दामोदर शर्मा पुत्र श्री काना उर्फ कन्हैया लाल की रिंग रोड मे भूमि समर्पण सम्बन्धी मूल पत्रावली मय नोटशीट के जोन कार्यालय मे उपलब्ध नही हो पा रही है। इस सम्बन्ध मे कार्यालय द्वारा दिनांक 25.5.22 को तलाश पत्र जारी किया गया परन्तु उक्त पत्रावली उपलब्ध नही हो पा रही है। इस सम्बन्ध मे प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.06.2022 को ऑनलाईन एफ.आई.आर भी दर्ज करवायी जा चुकी है।

आवेदक राधा दामोदर शर्मा पुत्र श्री काना उर्फ कन्हैया लाल द्वारा उक्त लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्ड संख्या 9/BE/118, 9/BE/124, 9/BF/3, 9/BF/15, 9/BF/17, 9/BF/14, 9/BD/57, 9/BD/60, 9/BB/85, 9/BB/83, 9/BB/84 द्वारा जारी डुप्लीकेट पत्रावली के आधार पर आवंटन/पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। अतः प्रार्थी को 9/BE/118, 9/BE/124, 9/BF/3, 9/BF/15, 9/BF/17, 9/BF/14, 9/BD/57, 9/BD/60, 9/BB/85, 9/BB/83, 9/BB/84 योजना रिंग रोड के आवंटन/पट्टा के सम्बन्ध मे कार्यवाही की जानी है। इस सम्बन्ध मे किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई आपति हो तो 7 दिवस के अधीन प्रस्तुत करें अन्यथा आवंटन/पट्टा की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र मे प्रकाशित करावें।
2. राधा दामोदर शर्मा पुत्र श्री काना उर्फ कन्हैया लाल निवासी ग्राम गोनेर तहसील सांगोनर, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-673
20/6/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141-सम्बधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : {सम्बधित अधिकारी का ईमेल}

D:\data d drive\Babu Lal Sharma Machine Data\D Drive data\BABU 2\BABU 2\CPM.doc

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

सार्वजनिक सूचना

पृथ्वीराज नगर निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारी ने विभिन्न योजनाओं एवं समिति के भूखण्डों के नियमन/भू-आवंटन हेतु कार्यालय उपायुक्त पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/लीजडीड हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवेदको के पक्ष में उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जावेगा।

क्र.स	आवेदक का नाम मय पिता/पति का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.
1.	श्रीमती कमलेश देवी पत्नी श्री सत्यनारायण यादव गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. योजना वर्धमान नगर बी ब्लॉक	पुराना नम्बर ए74सी नया नम्बर 91	274.00
2.	श्री मोहित सिंह पुत्र विक्रम सिंह दी शिवा को- ऑ हा. सोसायटी लि. योजना 6डी इजीनियर्स कॉलोनी सी ब्लॉक	सी-78	400.00

उक्त विज्ञप्ति राज्य सरकार के आदेश दिनांक **14.03.22** के क्रम में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, ताकि आ ॅन लाईन प्राप्त आवेदनों का समयबद्व निस्तारण किया जा सके।

उपायुक्त
पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम),
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी
जविप्रा,जयपुर।
यू.ओ.नोट क्रमांकः जविप्रा/उपा. पृथ्वीराजनगर (दक्षिण-प्रथम) /2022/डी- 1139/16-6-2022

PRD/R-674
20/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2022/डी-3/42 दिनांकः– 7-6-2022

–:सूचनाः–

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पीआर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह-खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री मदन लाल चौधरी पुत्र श्री भूरी लाल चौधरी (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	C 8	560.00
2	श्री मुन्शी सैन पुत्र श्री चौथमल सैन (बुनियादी गृ.नि.स.समिति की योजना पदम विहार)	A 124	142.50

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साईज में प्रकाशित कराने का श्रम करें। विज्ञप्ति प्रकाशन की राशि स्वंय भूखण्डधारी वहन करेंगें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर विज्ञप्ति प्रकाशित करावें।

नोटः– विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावें। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-675
20/6/22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

N.P.-V.N.

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांकः– जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2022/डी– 3145 दिनांकः– 7.6.2022

–:सूचनाः–

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह–खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री देवीसहाय शर्मा (भारत भवन नि.स.समिति की योजना रतन सागर)	154	515.10
2	जयश्री शर्मा पत्नी श्री विष्णु दत्त शर्मा (भारत भवन नि.स.समिति की योजना रतन सागर)	155	584.90

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साईज में प्रकाशित कराने का श्रम करें। विज्ञप्ति प्रकाशन की राशि स्वंय भूखण्डधारी वहन करेंगें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से सम्पर्क कर विज्ञप्ति प्रकाशित करावें।

नोटः– विज्ञप्ति प्रकाशन में कार्यालय का सम्पूर्ण पता तथा विज्ञप्ति आवश्यक रूप से 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाई जावें। उक्त की पूर्ति नहीं होने पर विज्ञप्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

PRO/RSB 20/6/22

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

+91-141-2569696 एक्सटैंशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2022/डी–3208 दिनांकः– 14.6.2022

–ःसूचनाः–

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह–खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा। हेतु पूर्व में इस कार्यालय के क्रमांक डी–3032 दिनांक 01.06.2022 के माध्यम से उप निदेशक (जन सम्पर्क), जविप्रा, जयपुर को भिजवाया गया था। जो आज दिनांक तक प्रकाशित नहीं करवायी है। अतः आपको पुनः विज्ञप्ति पत्र प्रकाशन हेतु भिजवाया जा रहा है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री रतन लाल अटल पुत्र श्री गोपीलाल (हसनपुरा–ए गृ.नि.स.समिति की योजना महावीर नगर–सी)	125	244.44
2	श्रीमती लक्ष्मी लाटा पुत्री श्री बलराम शर्मा (हथरोई गढी गृ.नि.स.समिति की योजना गणपति एनक्लेव)	86	61.81
3	श्री श्याम सिंह पंवार पुत्र श्री राम नारायण सिंह (हसनपुरा–ए गृ.नि.स.समिति की योजना सुखीजा विहार–ए)	64	295.01
4	श्री बनवारी लाल शर्मा पुत्र श्री मन्ना लाल शर्मा (लूनियावास गृ.नि.स.समिति की योजना गणपति एनक्लेव)	140A	157.05
5	गार्गी सिंह पुत्री श्री मनोज कुमार सिंह (बाबा.आर.एन. गोड गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव)	20	272.22
6	श्री दीपक कुमार शर्मा एवं अजय कुमार शर्मा पुत्रान सत्यनारायण शर्मा (शंकर भवन नि.स.समिति की योजना राधा स्वामी नगर)	27	206.66
7.	श्री फतेह चन्द सोनी पुत्र स्व. श्री विलाशी राम सोनी (ओम शिव गृ.नि.स.समिति की योजना हनुमान विहार)	04	173.33

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक डी–3032 दिनांक 01.06.2022 के माध्यम से आपको भिजवाया गया था, जो आज दिनांक तक प्रकाशित नहीं करवायी है। अतः आपको पुनः विज्ञप्ति पत्र प्रकाशन हेतु भिजवाया जा रहा है।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र प्रकाशित हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

PRO/R-677
20/6/22

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः– जविप्रा/उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय)/2022/डी–3231 दिनांकः– 15.6.2022

–ःसूचनाः–

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू–आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किये है। उक्त भूखण्डों के स्वामित्व/सृजन के सम्बंध में किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह–खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा निम्न आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

क्र. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	श्री आशुतोष पाराशर पुत्र श्री ताराचन्द शर्मा (हसनपुरा–ए गृ.नि.स.समिति की योजना विनायक विहार)	116	125.00
2	श्री राकेश शर्मा पुत्र स्व. श्री लाल चन्द शर्मा (दी सांगानेर कॉ.ओ.हा.सो.लि. की योजना वरूण कॉलोनी)	KTR 9	231.77
3	श्री आशुतोष पाराशर पुत्र श्री ताराचन्द शर्मा (हसनपुरा–ए गृ.नि.स.समिति की योजना विनायक विहार)	117	125.00
4	श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री राजकुमार शर्मा (अम्बेश्वर गृ.नि.स.समिति की योजना कृष्णा विहार विस्तार)	21	168.05
5	श्री सुरेश कुमार पारीक पुत्र स्व. श्री ललित किशोर पारीक (मीनावाला गृ.नि.स.समिति की योजना जय श्री विहार)	08	202.70
6	श्री जितेन्द्र कुमार सचदेवा पुत्र श्री जयदेव सचदेवा (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	5, 34, 35, 36	2064.70
7	श्रीमती अंजू सैनी पत्नी श्री लक्ष्मण सैनी (संयुक्त गृ.नि.स.समिति की योजना विधानसभा नगर–ए)	A 63	400.00
8	श्री हरीश कुमार पुत्र श्री वासुमल (मित्र गृ.नि.स.समिति की योजना महिमा नगर)	119 A	50.00
9	नानू राम जाट पुत्र श्री श्योंराम जाट (कीर्ति नगर कॉ.ओ.हा.सो.लि. की योजना बाबू नगर)	09	210.26
10	ममता यादव पत्नी श्री शेर सिंह यादव (बन्धु गृ.नि.स.समिति की योजना सागर एनक्लेव विस्तार)	C 20	195.00
11	रामेश्वर प्रसाद पुत्र श्री झुथाराम (कीर्ति नगर कॉ.ओ.हा.सो.लि. की योजना बाबू नगर)	10	386.66
12	गोपाल चौधरी पुत्र झुथाराम (कीर्ति नगर कॉ.ओ.हा.सो.लि. की योजना बाबू नगर)	17	291.18
13	श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री राजकुमार शर्मा (अम्बेश्वर गृ.नि.स.समिति की योजना कृष्णा विहार विस्तार)	21	168.05
14	श्रीमती खुशबू पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार (मीनावाला गृ.नि.स.समिति की योजना हनुमन्त विहार–सी)	28 C	515.34

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
2. .... को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन–12/2022/डी– 1394

दिनांक : 17-6-2022

सार्वजनिक सूचना

भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मनसा नगर के भूखण्ड संख्या 55 का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग.	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन/रजिस्टर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	55	150.00	मनसा नगर	श्रीमती संगीता शर्मा	1. श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, दीपक शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा, सोनिया शर्मा पत्नि अजय शर्मा व मोनिका शर्मा पत्नि श्री पुरूषोत्तम शर्मा (मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा शपथ पत्र के आधार पर)	श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, दीपक शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा, सोनिया शर्मा पत्नि अजय शर्मा व मोनिका शर्मा पत्नि श्री पुरूषोत्तम शर्मा निवासी 298, जोरावर सिंह गेट, राज पैलेस होटल के पास, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा शपथ पत्र के आधार पर लीजडीड/नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को उक्त प्रोग्राम का समाचार पत्र में प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित है।
2. श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, दीपक शर्मा पुत्र मोहन लाल शर्मा, सोनिया शर्मा पत्नि अजय शर्मा व मोनिका शर्मा पत्नि श्री पुरूषोत्तम शर्मा निवासी 298, जोरावर सिंह गेट, राज पैलेस होटल के पास, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

PRO/R-679
20/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / जोन–12 / 2022 / डी– 1385 दिनांक : 17-6-2022

सार्वजनिक सूचना

शिव शंकर हाउसिंग को–आपरेटिव सोसायटी लि. की योजना गणेश विहार भांकरोटा के भूखण्ड संख्या 143ए का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.मी.	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन / रजिस्टर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	143ए	97.22	गणेश विहार भांकरोटा	श्री सोहन लाल बैरवा	1. श्री गोपाल लाल व हरिशंकर बैरवा पुत्र श्री धन्नालाल बैरवा (नोटरी से प्रमाणित इकरारनामा के आधार पर)	श्री गोपाल लाल व हरिशंकर बैरवा पुत्र श्री धन्नालाल बैरवा निवासी बैरवो का मौहल्ला, मौजमाबाद, तह. दुदु

सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची में मूल आवंटी का नाम अंकित नही है अन्य का नाम सूची के क्रमांक 133 पर धन्नालाल पुत्र श्रवण लाल का नाम अंकित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत नोटरी से प्रमाणित इकरारनामा के आधार पर लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति / हितधारी / संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण / प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

Sd/-
उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को उक्त प्रोग्राम का समाचार पत्र में प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित है।
2. श्री गोपाल लाल व हरिशंकर बैरवा पुत्र श्री धन्नालाल बैरवा निवासी बैरवो का मौहल्ला, मौजमाबाद, तह. दुदु को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PRO/R-680
20/6/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
दूरभाष – +91–141–2574798 : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स–+91–141–2574555

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन–12/2022/डी– 1386 दिनांक : 17-6-2022

सार्वजनिक सूचना

शिव शंकर हाउसिंग को–आपरेटिव सोसायटी लि. की योजना गणेश विहार भांकरोटा के भूखण्ड संख्या 143ए का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.मी.	योजना का नाम	मूल आवंटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन/रजिस्टर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	143ए	97.22	गणेश विहार भांकरोटा	श्री रोहन लाल बैरवा	1. श्री गोपाल लाल व हरिशंकर बैरवा पुत्र श्री धन्नालाल बैरवा (नोटरी से प्रमाणित इकरारनामा के आधार पर)	श्री गोपाल लाल व हरिशंकर बैरवा पुत्र श्री धन्नालाल बैरवा निवासी बैरवो का मौहल्ला, मौजमाबाद, तह. दुदु

सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची में मूल आवंटी का नाम अंकित नही है अन्य का नाम सूची के क्रमांक 133 पर धन्नालाल पुत्र श्रवण लाल का नाम अंकित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत नोटरी से प्रमाणित इकरारनामा के आधार पर लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन–12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को उक्त प्रोग्राम का समाचार पत्र में प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित है।
2. श्री गोपाल लाल व हरिशंकर बैरवा पुत्र श्री धन्नालाल बैरवा निवासी बैरवो का मौहल्ला, मौजमाबाद, तह. दुदु को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PRO/R-680
20/6/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004

दुरभाष – +91–141–2574798 : ईपीबीएक्स – +91–141–2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स–+91–141–2574555

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

–:सार्वजनिक सूचना:–

निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना सन सिटी के भूखण्ड संख्या आर–57 के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का फ्री होल्ड लीजडीड के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विवरण Website : http://jda.urban.rajasthan.gov.in /नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

उपायुक्त जोन–12
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
कमांक जविप्रा/जोन–12/2022/डी–1391 दिनांक 17-6-22

PRO/R-681
20/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–9/2022/डी– 3671 दिनांकः– 20-6-2022

सार्वजनिक विज्ञप्ति

ग्राम मनोहरपुरा तहसील सांगानेर के ख.न. 359 रकबा 0.98 हैक्टे. ख.न. 307 रकबा 0.01 हैक्टे. ख.न. 363 रकबा 0.01 हैक्टे. खातेदार गोरधन सिंह, छोटू सिंह, सन्तोष सिंह, राजेन्द्र पि. जगदीश सिंह हि. बराबर कौम राजपूत सा. देह एवं ख.न. 361 रकबा 0.66 हैक्टे. ख.न. 362 रकबा 0.60 हैक्टे. खातेदार गोरधन सिंह, छोटू सिंह, सन्तोष सिंह पि. जगदीश सिंह, श्रीमती जोरावर कंवर बैवा जगदीश सिंह, धापा देवी पुत्री जगदीश सिंह जाति राजपूत सा. देह कुल किता 5 कुल रकबा 2.26 हैक्टे. भूमि की 90ए प्रकरण संख्या 01/2017 का निर्णय दिनांक 26.02.2018 को पारित किया गया था। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर **भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जगदीश विहार** के नाम से सृजित की जा चुकी है।

वर्तमान मे उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर सृजित योजना नियमन हेतु समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध मे किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे अपनी लिखित आपत्ति इस कार्यालय मे प्रस्तुत करें अन्यथा प्रकरण मे योजना के मानचित्र अनुमोदन कर लीजडीड जारी किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही अमल मे लायी जावेगी।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र मे प्रकाशित करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-132
20/6/2022

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/101899 / 3601 DATED- 20-6-2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक सोहन लाल मीणा पुत्र स्व. श्री जीवा राम मीणा निवासी 11–12, आनन्द विहार कॉलोनी, एयरपोर्ट, जयपुर द्वारा ग्राम खोखावास तहसील सांगानेर ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का व्यावसायिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थातः–

जिले सहित ग्राम, तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टै.
ग्राम–खोखावास तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	सोहन लाल पुत्र श्री जीवा राम मीणा निवासी ग्राम खोखावास, तहसील सांगानेर	613/729 रकबा 0.5600 व.मी. में से हिस्सा 32287/280000	745.74 वर्ग मीटर
कुल		कुल किता 1	कुल रकबा 745.74 वर्ग मीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है। और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 20-6-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

प्रतिलिपी–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा,जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन–9
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

PRO/R-183
20/6/22

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ(नेवटा–आई.डी.698) जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी -1673 दिनांक 20/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
62921	ग्राम नेवटा के खसरा नम्बर 1805, 1812 से 1815, 1817 क्षेत्रफल 6550 वर्गमीटर भूमि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि क्षेत्रफल 1637 वर्गमीटर भूमि का आरक्षण पत्र क्रमांक डी–67 दिनांक 29.5.2007 के द्वारा श्री नंदराम, राधेश्याम पुत्रान श्री रामकरण को जारी किया गया है।	ग्राम नृसिंहपुरा दादिया के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–216 क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री रामलाल भाटी	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ(नेवटा–आई.डी.798) जविप्रा / उपा / जोन–11 / 2022 / डी – 1674 दिनांक 20/6/22

विज्ञप्ति / सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट / नागरिक सेवा केन्द्र / एकल खिडकी / नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति / सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपतियां प्राप्त करने का कारण
107797	ग्राम नेवटा के खसरा नम्बर 335 अवाप्त क्षेत्रफल 5800 वर्गमीटर के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि क्षेत्रफल 1450 वर्गमीटर भूमि का आरक्षण पत्र क्रमांक डी–78 दिनांक 28.12.2007 के द्वारा ग्रीन सिटी कॉलोनाईजर प्रा.लि. हि. 4/7 ग्रीन सिटी लैण्ड डवलपर्स प्रा.लि. हि. 3/7 को जारी किया गया था।	ग्राम टीलावारा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–718 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर	श्रीमती रूचि पत्नी श्री आशीष	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ(नेवटा–आई.डी.575) जविप्रा / उपा / जोन–11 / 2022 / डी –1675 दिनांक 20/6/22

विज्ञप्ति / सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट / नागरिक सेवा केन्द्र / एकल खिडकी / नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति / सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
107798	ग्राम नेवटा के खसरा नम्बर 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164 अवाप्त क्षेत्रफल 6333 वर्गमीटर के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि क्षेत्रफल 1582 वर्गमीटर भूमि का आरक्षण पत्र क्रमांक डी–774 दिनांक 1.3.2007 के द्वारा श्री काना पुत्र श्री रामचन्द्र को जारी किया गया था।	ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1095 क्षेत्रफल 13.5 वर्गमीटर	श्री बृज गोहन सिंघल पुत्र श्री दीनदयाल सिंघल	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ(कलवाडा–आई.डी.410) जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी –1676 दिनांक 20/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की रोज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
107796	ग्राम कलवाडा के खसरा नम्बर 1583/2933, 1584/2933 अवाप्त क्षेत्रफल 3800 वर्गमीटर के बदले 25 प्रतिशत विकसित भूमि क्षेत्रफल 950 वर्गमीटर भूमि का आरक्षण पत्र क्रमांक डी–25 दिनांक 17.9.2007 के द्वारा श्री ओम प्रकाश केडिया पुत्र श्री नौरंग राम केडिया को जारी किया गया था।	ग्राम कलवाडा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 171 क्षेत्रफल 13.5 वर्गमीटर	श्री आशीष पुत्र श्री सुभाष	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-684
20/6/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष – (+91-141-2574798) : ईपीबीएक्स – +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (7402) : फैक्स – +91-141-2574555

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ(आई.डी.20 कलवाडा) जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी–1677 दिनांक 20/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
105467	ग्राम कलवाडा में अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 415, 416, 419, 420, 421 की अवाप्त भूमि 107100 वर्गमीटर के बदले देय आवासीय 21420 वर्गमीटर एवं व्यावसायिक 5355 वर्गमीटर कुल 26775 वर्गमीटर का आरक्षण पत्र क्रमांक 52 दिनांक 3.11.06 को खातेदार श्री जुगल किशोर शारदा जरिये मु. नटवर लाल शारदा पुत्र श्री तनसुखराय शारदा को जारी किया गया था।	ग्राम बगरूखुर्द तहसील सांगानेर के आवासीय भूखण्ड संख्या 1882–सी क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर	मैसर्स जैसनसरिया इन्फ्रा एल. एल.पी. जरिये मुखत्यारआम श्री राहुल माहेश्वरी	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त–जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त–जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

PRO/R-685
20/6/22

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष – (+91-141-2574798) : ईपीबीएक्स – +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (7402): फैक्स – +91-141-2574555

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ(कलवाडा–आई.डी.894) जविप्रा/उपा/जोन–11/2022/डी -1687 दिनांक 20/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयनक क्रमांक	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
103914 103911 103912 103791 103778	ग्राम पालडी के आवासीय भूखण्ड संख्या 278 क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर, ग्राम झांई के आवासीय भूखण्ड संख्या ए–513 क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर, ग्राम बगरूखुर्द के आवासीय भूखण्ड संख्या 1633 क्षेत्रफल 240 वर्गमीटर, ग्राम टीलावास के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–500 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर, ग्राम बगरूखुर्द के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस–1205 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर	श्री ताराचंद गोयल पुत्र श्री सूरजमल गोयल	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन–11
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर–302004
दूरभाष – (+91-141-2574798) : ईपीबीएक्स – +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (7402): फैक्स – +91-141-2574555

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा. जोन–8 / 2022 / डी–1755 दिनांक 20/6/2022

सार्वजनिक सूचना

ग्राम मोहनपुरा तह0 सांगानेर के खसरा नम्बर 293, 289 / 576, 290, 294, 295, 296, 291, 297, 298 कुल किता 09 कुल रकबा 12.96 है0 की खातेदारी श्री कानाराम, राधेश्याम, सीताराम, हरिनारायण, बिहारी लाल पि0 हरिकिशन जाती जाट हरिकिशन पुत्र मांगूराम, श्रीमती केसर देवी पत्नी श्री हरिकिशन द्वारा भूमि को आवासीय उपयोग हेतु रूपान्तरण करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर कार्यालय द्वारा उक्त खसरा नम्बरान् की राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 90 ख (3) की उपधारा 6 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (II) के तहत् उक्त भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार उत्पन्न होने से खातेदारान् द्वारा समर्पित भूमि की अन्तर्गत धारा 90 बी (3) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के आदेश प्रकरण संख्या 41 / 2010 दिनांक 28.06.2010 को जारी की गई थी। खातेदार द्वारा उक्त खसरा नम्बरान् के साथ–साथ ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 287 / 587, 288 / 586, 289 कुल किता 03 कुल रकबा 3.10 है0 एवं खसरा नम्बर 287, 288, 288 / 588, 289 / 575 कुल किता 04 कुल रकबा 3.09 है0 भूमि में से जोनल विकास योजना–10 की प्रस्तावित 18 मीटर सड़कों का रीअलाइनमेंट करने हेतु निवेदन किया गया है।

जविप्रा की बीपीसी (एलपी) की 317वी बैठक दिनांक 13.05.2022 में लिये गये निर्णय अनुसार रिअलाईमेंट 18 मीटर सेक्टर रोड़ों की कियान्विती हेतु किसी व्यक्ति / संस्था / हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा बाद–मियाद रीअलाइनमेंट 18 मीटर सेक्टर रोड़ों की कियान्विती कर दिया जावेगा। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

20/6/22

सचिव
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. आयुक्त महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. सचिव महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान / बीपीसी–एल.पी.) जविप्रा, जयपुर।
5. राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र (राजस्थान पत्रिका एवं जयपुर महानगर टाईम्स) द्वारा विज्ञप्ति प्रस्तुतकर्ता से विज्ञापन शुल्क वसूल कर लिया जावे।
6. श्री मदन सिंह, गोपाल लाल, बृजेश पुत्र स्व0 श्री कानाराम, राधेश्याम, सीताराम, हरिनारायण, बिहारी लाल पि0 हरिकिशन जाती जाट हरिकिशन पुत्र मांगूराम, श्रीमती केसर देवी पत्नी श्री हरिकिशन निवासी– ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन बिन्दू संख्या 1 में वर्णित दैनिक समाचार पत्रो में करवाये एवं उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन 8 फॉण्ट साईज में करवायेगें यदि उक्तानुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन नही करवाया गया हो तो वह मान्य नही होगी।

उपायुक्त जोन–8
जविप्रा, जयपुर

Scanned with CamScanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–6/22/डी– 1863 दिनांक :– 20/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष मे नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आंवटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.सं.–ए–13 (पूर्वी भाग)	गणेश नगर (भैरव गृ.नि.स.स)	श्रीमति झुगा देवी पत्नी स्व. श्री सोहनलाल	श्रीमति गोरजा कंवर पत्नी श्री पृथ्वीराज शेखावत	भूखण्ड के मूल दस्तावेजात् प्रस्तुत करने के सम्बन्ध मे।
2.	भू.सं. बी–214	मुरलीपुरा स्कीम जविप्रा	श्री किशन गुप्ता पुत्र श्री रामसंजीवन गुप्ता	श्री रघुनाथ प्रसाद पुत्र श्री भगवान राम	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।
3.	भू.सं.–12	वी.के.आई–प्रथम (दी कृष्णा गृ.नि.स.स)	इस्लाम पुत्र यामीन	श्री गोकेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री नाथूलाल	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।
4.	भू.स. 6–बी	16 व 16 जा (सिन्धु नगर गृ.नि.स.स)	श्री रोहित जांगिड व शांतिलाल जांगिड पुत्र श्री रामदेव जांगिड	श्री रोहित जांगिड व शांतिलाल जांगिड पुत्र श्री रामदेव जांगिड	सदस्य सूची म भूखण्ड संख्या 6बी अंकित नही है।
5.	ग्राम हरमाडा ख. नं.–313 मे स्थित भूखण्ड सं.–ए–4ए	गौतम कॉलोनी निजी खातेदार	श्रीमती राजलक्ष्मी शर्मा पत्नी श्री निलेश कुमार शर्मा	श्री कैलाश, बनवारी लाल, बाबूलाल, रामजीलाल पुत्रान् श्री रामनिवास, कमला देवी बेवान चौथमल, कैलाशचन्द, रमेशचन्द शर्मा, मुरारीलाल, गोपाल लाल पुत्रान् चौथमल, श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री रमेशचन्द शर्मा, श्रीमती उषादेवी पत्नी श्री गोपाल लाल व श्रीमति उषा देवी पत्नी श्री गोपाल लाल शर्मा	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।
6.	ग्राम हरमाडा ख. नं.–313 मे स्थित भूखण्ड सं.–ए–4	गौतम कॉलोनी निजी खातेदार	श्री निलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री गोपाल लाल शर्मा	श्री कैलाश, बनवारी लाल, बाबूलाल, रामजीलाल पुत्रान् श्री रामनिवास, कमला देवी बेवान चौथमल, कैलाशचन्द, रमेशचन्द शर्मा, मुरारीलाल, गोपाल लाल पुत्रान् चौथमल, श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री रमेशचन्द शर्मा, श्रीमती उषादेवी पत्नी श्री गोपाल लाल व श्रीमति उषा देवी पत्नी श्री गोपाल लाल शर्मा	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।
7.	ग्राम हरमाडा ख. नं.–313 मे स्थित भूखण्ड सं.–ए–5	गौतम कॉलोनी निजी खातेदार	श्री नन्दलाल शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा	श्री कैलाश, बनवारी लाल, बाबूलाल, रामजीलाल पुत्रान् श्री रामनिवास, कमला देवी बेवान चौथमल, कैलाशचन्द, रमेशचन्द शर्मा, मुरारीलाल, गोपाल लाल पुत्रान् चौथमल, श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री रमेशचन्द शर्मा, श्रीमती उषादेवी पत्नी श्री गोपाल लाल व श्रीमति उषा देवी पत्नी श्री गोपाल लाल शर्मा	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।
8.	ग्राम हरमाडा ख. नं.–313 मे स्थित भूखण्ड सं.–ए–3ए	गौतम कॉलोनी निजी खातेदार	श्री गोपाल लाल शर्मा पुत्र श्री चौथमल शर्मा	श्री कैलाश, बनवारी लाल, बाबूलाल, रामजीलाल पुत्रान् श्री रामनिवास, कमला देवी बेवान चौथमल, कैलाशचन्द, रमेशचन्द शर्मा, मुरारीलाल, गोपाल लाल पुत्रान् चौथमल, श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री रमेशचन्द शर्मा, श्रीमती उषादेवी पत्नी श्री गोपाल लाल व श्रीमति उषा देवी पत्नी श्री गोपाल लाल शर्मा	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।
9.	ग्राम हरमाडा ख. नं.–313 मे स्थित भूखण्ड सं.–ए–6	गौतम कॉलोनी निजी खातेदार	श्री मुरारीलाल शर्मा पुत्र श्री चौथमल शर्मा	श्री कैलाश, बनवारी लाल, बाबूलाल, रामजीलाल पुत्रान् श्री रामनिवास, कमला देवी बेवान चौथमल, कैलाशचन्द, रमेशचन्द शर्मा, मुरारीलाल, गोपाल लाल पुत्रान् चौथमल, श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री रमेशचन्द शर्मा, श्रीमती उषादेवी पत्नी श्री गोपाल लाल व श्रीमति उषा देवी पत्नी श्री गोपाल लाल शर्मा	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।
10.	ग्राम हरमाडा ख. नं.–313 मे स्थित भूखण्ड सं.–ए–6ए	गौतम कॉलोनी निजी खातेदार	श्री संदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा	श्री कैलाश, बनवारी लाल, बाबूलाल, रामजीलाल पुत्रान् श्री रामनिवास, कमला देवी बेवान चौथमल, कैलाशचन्द, रमेशचन्द शर्मा, मुरारीलाल, गोपाल लाल पुत्रान् चौथमल, श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री रमेशचन्द शर्मा, श्रीमती उषादेवी पत्नी श्री गोपाल लाल व श्रीमति उषा देवी पत्नी श्री गोपाल लाल शर्मा	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध मे।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम मे उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–6
जविप्रा, जयपुर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/101918 दिनांकः 20/06/2022

लोक सूचना

महिमा वेयरहाउसिंग प्रा.लि. जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री कपिल रायसिंघानी पुत्र स्व. श्री के.वी. रायसिंघानी रजि. कार्यालय किस्टल पॉम, चतुर्थ तल, 22, गोदाम सर्किल, सहकार मार्ग, जयपुर एवं प्रकाशचन्द, मोतीलाल, रामदयाल पुत्रान् लादू जाति रैगर निवासी–147, रैगारान, सारंगपुरा, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **औद्योगिक (वेयर हाऊस)** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सारंगपुरा सांगानेर (जयपुर)	**महिमा वेयरहाऊसिंग प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय चतुर्थ तल, किस्टल पॉम, बाईस गौदाम सर्किल, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।**	203	2500	0.25
			208	9900	0.99
			206	3300	0.33
			206/794	300	0.03
			207	2600	0.26
			221	10500	1.05
			222	9000	0.90
			223	5000	0.50
			229	5900	0.59
			937/161	975	0.0975
			205	1100	0.11
			900/172	430	0.0430
			902/204	870	0.0870
		प्रकाशचन्द, मोतीलाल, रामदयाल पुत्रान् लादू जाति रैगर निवासी–147, रैगारान, सारंगपुरा, जयपुर।	235	8500	0.85
				कुल	**6.0875**

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **20-06-2022** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन–11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः LU2012/JDA/2022-23/101917

दिनांकः 20/06/2022

लोक सूचना

श्री मैसर्स आर्यन लैण्डमार्क डवलपर्स एलएलपी जरिये अधिकृत साझेदार श्री राम चन्द्र यादव पुत्र श्री हरसहाय यादव जाति अहीर पता 2सी, स्वरूप कॉलोनी, डी.सी.एम., अजमेर रोड, जयपुर
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का प्रयोजना के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थातः–

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	भांकरोटा कलां, सांगानेर (जयपुर)	आर्यन लैण्ड मार्क डवलपर्स एल.एल.पी.	93	800.00	0.0800
2.	भांकरोटा कलां, सांगानेर (जयपुर)	अजय कुमार सैन पुत्र किशोर कुमार सैन, कमला सैन पत्नि किशोर कुमार सैन, विजय कुमार सैन पुत्र किशोर कुमार सैन, शिव कुमार सैन पुत्र किशोर कुमार सैन जरिये मुख्त्यारनामा आम आर्यन लैण्ड मार्क डवलपर्स एल.एल.पी.	94	1300.00	0.1300
3.	भांकरोटा कलां, सांगानेर (जयपुर)	कैलाशी देवी पत्नि हनुमान, गुन्नी देवी पत्नि चन्दालाल जरिये मुख्त्यारनामा आम आर्यन लैण्ड मार्क डवलपर्स एल.एल. पी.	96	2400.00	0.2400
4.	भांकरोटा कलां, सांगानेर (जयपुर)	गणेश चौधरी पुत्र भोलाराम, जगदीश पुत्र गोपाल, मोतीराम पुत्र गोपाल, राकेश चौधरी पुत्र भोलाराम, रामकरण पुत्र गोपाल जरिये मुख्त्यारनामा आम आर्यन लैण्ड मार्क डवलपर्स एल.एल. पी.	97	4100.00	0.4100
5.	भांकरोटा कलां, सांगानेर (जयपुर)	चन्दालाल पुत्र गोगा, पांची पत्नि स्व. गोगा, बाबूलाल पुत्र गोगा, सीताराम पुत्र गोगा जरिये मुख्त्यारनामा आम आर्यन लैण्ड मार्क डवलपर्स एल.एल. पी.	102	3900.00	0.3900
6.	भांकरोटा कलां, सांगानेर (जयपुर)	आर्यन लैण्ड मार्क डवलपर्स एल.एल.पी.	108	1200.00	0.1200
7.	भांकरोटा कलां, सांगानेर (जयपुर)	आर्यन लैण्ड मार्क डवलपर्स एल.एल.पी.	109	400.00	0.0400
8.	भांकरोटा कलां, सांगानेर (जयपुर)	आर्यन लैण्ड मार्क डवलपर्स एल.एल.पी.	136	1000.00	0.1000
9.	भांकरोटा कलां, सांगानेर (जयपुर)	हेतराम विश्नोई पुत्र गणेशाराम जरिये मुख्त्यारनामा आम आर्यन लैण्ड मार्क डवलपर्स एल.एल. पी.	139	2600.00	0.2600
				कुल	1.77

अतः एतद्‌ द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लोग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकता है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 20.06.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर